

विज्ञापन

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म0प्र0, आधारताल, जबलपुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत राज्य स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें पंचायतराज ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ग्रामीण विकास से संबंधी विषयों पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, म0प्र0, आधारताल, जबलपुर में कोर संकाय सदस्य को संविदा पर नियुक्त किये जाने के लिये निम्नानुसार पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है :-

क.	रिक्त पद का नाम	समेकित संविदा राशि	रिक्त पदों की संख्या					आवश्यक अर्हताएं
			अ ज जा.	अ जा	अ. पि. व.	अनारक्षि त	कु ल	
1.	ग्रामीण विकास (Rural Development) कोर फैकल्टी मेम्बर	65,320/-	—	—	—	01	01	(1) ग्रामीण विकास में एमबीए में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ। (2) संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 03 वर्ष अध्यापन का अनुभव। (4)कम्प्यूटर (एमएसऑफिस) कार्य करने की दक्षता। (5) अधिकतम आयु 55 वर्ष (आयु संगणना तिथि 01.04.2024)
2.	ग्रामीण अभियांत्रिकी (Rural Engineering) कोर फैकल्टी मेम्बर	65,320/-	—	—	—	01	01	(1) एम.टेक. सिविल (कन्सट्रक्शन टेक्नॉलाजी एण्ड मेनेजमेंट) 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक। (2) संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 03 वर्ष अध्यापन का अनुभव। (4)कम्प्यूटर (एमएसऑफिस) कार्य करने की दक्षता। (5) अधिकतम आयु 55 वर्ष (आयु संगणना तिथि 01.04.2024)

क.	रिक्त पद का नाम	समेकित संविदा राशि	रिक्त पदों की संख्या					आवश्यक अर्हताएं
			अ ज जा.	अ जा.	अ. पि. व.	अनारक्षित	कुल	
3.	सामाजिक शिक्षा (Social Education) – कोर फैकल्टी मेम्बर	65,320 / –	–	–	–	01	01	(1)समाजशास्त्र/भूगोल/अर्थशास्त्र (संसाधन प्रबंधन विषय के साथ) में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ। (2) संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 03 वर्ष अध्यापन का अनुभव। (4)कम्प्यूटर (एमएसऑफिस) कार्य करने की दक्षता। (5) अधिकतम आयु 55 वर्ष (आयु संगणना तिथि 01.04.2024)
4.	सूचना तकनीकी (Information Technology) कोर फैकल्टी मेम्बर	65,320 / –	–	–	–	01	01	(1)एम.टेक. (इनफरमेशन टेक्नालॉजी)/एमएससी (कम्प्यूटर साइंस)/एमसीए 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक। (2) संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 03 वर्ष अध्यापन का अनुभव। (4) अधिकतम आयु 55 वर्ष (आयु संगणना तिथि 01.04.2024)
5.	महिला एवं बाल विकास (Women & Child Development) – कोर फैकल्टी मेम्बर	65,320 / –	–	–	–	01	01	(1) समाजशास्त्र/भूगोल/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ। (2) संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 03 वर्ष अध्यापन का अनुभव। (4)कम्प्यूटर (एमएसऑफिस) कार्य करने की दक्षता। (5) अधिकतम आयु 55 वर्ष (आयु संगणना तिथि 01.04.2024)

आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदन प्राप्त/जमा करने की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन ही की जायेगी। आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार के आवेदन एवं प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क रुपए 200/– जी एस टी अतिरिक्त एम पी ऑनलाईन को देय होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.11.2024 है।
- चयन प्रक्रिया – चयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्यता एवं अनुभव के आधार पर संक्षिप्त सूचीकरण (Short Listing) के पश्चात् साक्षात्कार के द्वारा किया जावेगा।

//3//

3. उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया:-

1	स्नात्कोत्तर परीक्षा के अंकों का प्रतिशत के आधार पर	अधिकतम 10 अंक
2	उच्च योग्यता - पीएच.डी. - 10 अंक एम.फिल. - 5 अंक	अधिकतम 10 अंक
3	शिक्षण/प्रशिक्षण/अनुसंधान (पीएचडी अनुसंधान के अतिरिक्त) - 3 अंक 3 वर्ष की अवधि के लिए और 1 अंक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	अधिकतम 10 अंक
4	संक्षिप्त सूचीकरण (Short Listing) के उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए	20 अंक

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों का संक्षिप्त सूचीकरण (Short Listing) 1:5 के आधार पर होगा।

3.2 उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया जावेगा।

3.3 सभी प्रकार की डिग्री/अनुभव के मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ भेजी जावेंगी।

3.4 आयु के लिए हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3.5 उम्मीदवार का अंतिम चयन उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के आधार पर किया जावेगा।

3.6 चयन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा सकेगा।

3.7 चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें -

1. संविदा नियुक्ति, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/ 2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के दिशा निर्देशों के तहत होगी।
2. चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्ष की संविदा पर होगी एवं कार्य निष्पादन के आधार पर नियमानुसार संविदा अवधि में 3-3 वर्ष की वृद्धि की जावेगी।
3. पदों की संख्या व मानदेय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
4. संविदा राशि- संविदा पर चयनित व्यक्तियों को पद के सामने दर्शाये संविदा राशि पर नियुक्त किया जावेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
5. सभी संविदा नियुक्तियाँ पूर्णरूप से अस्थाई होंगी और संस्थान के शासक मण्डल के निर्णय के आधार पर कभी भी बिना कारण बताये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. चयनित व्यक्ति उन पर लागू होने वाले संविदा नियम एवं शर्तों के अधीन संस्थान के साथ Memorandum of Understanding करेंगे।
7. संकायवार एकल पद होने के कारण आरक्षण लागू नहीं है।
8. MGSIRD&PR इस चयन प्रक्रिया को प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निरस्त कर सकेगी।
9. आवेदक को Online आवेदन करते समय कठिनाई होने पर mponline के helpline no. 0755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदक www.mponline.gov.in या <https://iforms.mponline.gov.in> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।


संचालक

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान,
जबलपुर मण्डल